न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रामदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 437 / 2024

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थी

1 धर्मिष्ठादेवी पत्नी पुरूषोतमदास जाति सोनी निवासी बाडमेर 2 अंजूदेवी पत्नी पुखराज जाति सोनी निवासी बाडमेर 3 परमेश्वरीदेवी पत्नी बोंरीलाल जाति सोनी निवासी बाडमेर 4 कलावतीदेवी पत्नी गोपालचन्द जाति सोनी निवासी रामसर तहसील रामसर जिला बाडमेर।

1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री डूंगरसिंह महेचा, वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 03/09/24

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का मौजा महाबार पटवार महाबार खेत खसरा संख्या 243 रकबा 28.07 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की भूमि खसर संख्या 243 में सहखातेदार चन्द्रवीरसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार से प्रार्थीनी संख्या 01 धर्मिष्ठा ने 40 / 567 हिस्सा, प्रार्थीनी संख्या 02 अंजूदेवी ने 40 / 567 हिस्सा, प्रार्थीनी संख्या 03 परमेश्वरीदेवी ने 40 / 567 हिस्सा व प्रार्थीनी संख्या 04 कलावतीदेवी का 42 / 567 हिस्सा संयुक्त रूप से एक ही विक्रय पत्र से क्रय किया था जिस पर बेचानकर्ता चन्द्रवीरसिंह ने एक पंजीबद्ध बेचान पत्र करवाया गया था, जिस पर नामान्तकरण संख्या 1735 के जरिये प्रार्थीगण को उक्त भूमि के खसरा संख्या 243 रकबा 28.07 बीघा भूमि में सहखातेदार दर्ज किया गया। तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड का डिजिटलाईजेशन (ऑन–लाईन–सेग्रीकेशन) करते समय राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम बिना किसी न्यायालय के आदेश के ही अपने स्तर पर प्रार्थीगण का नाम विलोपित कर दिया गया, जबकि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी संख्या 01 धर्मिष्ठा ने 40 / 567 हिस्सा, प्रार्थीनी संख्या 02 अंजूदेवी ने 40 / 567 हिस्सा, प्रार्थीनी संख्या 03 परमेश्वरीदेवी ने 40 / 567 हिस्सा व प्रार्थीनी संख्या 04 कलावतीदेवी का 42 / 567 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का था तथा राजस्व रेकर्ड में अंकन होने के बावजूद प्रार्थीगण का नाम विलोपित कर दिया गया। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा महाबार पटवार महाबार खेत खसरा संख्या 243 रकबा 28.07 बीघा भूमि में [illegible] हिस्सा प्रार्थीनी संख्या 01 धर्मिष्ठा ने 40 / 567 हिस्सा, प्रार्थीनी संख्या 02 अंजूदेवी ने 40 / 567 हिस्सा, प्रार्थीनी संख्या 03 परमेश्वरीदेवी ने 40 / 567 हिस्सा व प्रार्थीनी संख्या 04 कलावतीदेवी का 42 / 567 हिस्सा दर्ज करवाने व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:32:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ / 2024 / 2193 दिनांक 29.08.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया है कि मौजा महाबार पटवार हल्का महाबार तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 243 रकबा 28.07 बीघा भूमि मौके पर खाली है। उक्त भूमि मे पारित नामान्तकरण संख्या 1735 स्वीकृत दिनांक 20.12.2007 मे चन्द्रवीरसिंह पुत्र मंगलसिंह द्वारा अपना सम्पूर्ण 1 / 4 हिस्सा का बेचान क्रेता 1 धर्मिष्ठादेवी पत्नी पुरूषोतमदास जाति सोनी 2 अंजूदेवी पत्नी पुखराज जाति सोनी 3 परमेश्वरीदेवी पत्नी बोंरीलाल जाति सोनी 4 कलावतीदेवी पत्नी गोपालचन्द जाति सोनी कुल चारो का 1 / 4 का नामान्तकरण स्वीकृत हुआ। मौजा महाबार की जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 बनाते समय नामान्तकरण संख्या 1735 प्रभावित होने से छुट गया इसलिए जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 में इनका नाम दर्ज नही हुआ। नामान्तकरण संख्या 1741 दिनांक 05.01.2008 में लखसिंह फौत होने के स्थान पर अभयसिंह नारायणसिह रविन्द्रसिंह पिसरान लखसिंह छगनकंवर पत्नी लखसिंह 1 / 4 के नाम पारित हुआ। नामान्तकरण संख्या 1759 में लखसिंह परिवार द्वारा अपना सम्पूर्ण 1 / 4 हिस्सा बेचान करने से उनके स्थान पर 1 बसन्ती पत्नी महेश कुमार 2 लक्ष्मीदेवी पत्नी पारसमल 3 धनुदेवी पत्नी भूरसिंह 4 जानीदेवी पत्नी गोरधनराम 5 सुशीलादेवी पत्नी लूणकरण जाति सोनी निवासी बाडमेर 1 / 4 हिस्सा नामान्तकरण पारित हुआ। नामान्तकरण संख्या 2379 दिनांक 15.04.2011 के अनुसार रामरखीदेवी पत्नी पुनमचन्द व धनीदेवी पत्नी भूरसिंह द्वारा बेचान करने से उनके स्थान पर चन्द्रकान्ता पत्नी धर्मेन्द्र कुमार व राजेन्द्र कुमार पुत्र हरिराम जाति सोनी के नाम नामान्तकरण पारित हुआ। नामान्तकरण संख्या 2887 दिनांक 20.08.2012 की स्वीकृत अनुसार चन्द्रकान्ता पत्नी धर्मेन्द्र कुमार द्वारा बेचान करने पर उनके साथ जमनादेवी पत्नी रतनलाल जाति सोनी के नाम नामान्तकरण पारित हुआ। नामान्तकरण संख्या 1807 दिनांक 20.08.2008 की स्वीकृत अनुसार गोपकंवर व पुंजराजसिंह द्वारा बेचान करने पर उनके स्थान पर राधादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति सोनी के नाम नामान्तकरण पारित हुआ। वर्तमान जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 1735 की प्रविष्टी को छोडकर शेष सारे नामान्तकरण प्रभावित है। अतः 01 अंजूदेवी पत्नी पुखराज का 40 / 567 हिस्सा, 02 परमेश्वरीदेवी पत्नी कोदीदास का 20 / 567 हिस्सा, 03 धर्मिष्ठा पत्नी पुरूषोतदास का 40 / 567 हिस्सा 04 कलावतीदेवी पत्नी गोपालदास का 42 / 567 हिस्सा कुल 1 / 4 हिस्सा जमाबन्दी में प्रभावित होना नही पाया गया।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 20[illegible] 2066 से 2069 तथा व विभिन्न नामान्तकरणों का गंभीरतापूर्वक [illegible] तहसीलदार बाडमेर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया नामान्तकरण संख्या 1735 स्वीकृत दिनांक 20.12.2007 में चन्द्रवीरसिंह पुत्र मंगलसिंह द्वारा अपना सम्पूर्ण 1 / 4 हिस्सा का बेचान क्रेता 1 धर्मिष्ठादेवी पत्नी पुरूषोतमदास जाति सोनी 2 अंजूदेवी पत्नी पुखराज जाति सोनी 3 परमेश्वरीदेवी पत्नी बोंरीलाल जाति सोनी 4 कलावतीदेवी पत्नी गोपालचन्द जाति सोनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:32:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

कुल चारों का 1/4 का नामान्तकरण स्वीकृत हुआ। उसके पश्चात विभिन्न बेचान हुए परन्तु 01 अंजूदेवी पत्नी पुखराज का 40/567 हिस्सा, 02 परमेश्वरीदेवी पत्नी कोदीदास का 20/567 हिस्सा, 03 धर्मिष्ठा पत्नी पुरूषोतदास का 40/567 हिस्सा 04 कलावतीदेवी पत्नी गोपालदास का 42/567 हिस्सा कुल 1/4 हिस्सा जमाबन्दी में प्रभावित होना नही पाया गया। लिहाजा मौजा महाबार पटवार महाबार खेत खसरा संख्या 243 रकबा 28.07 बीघा भूमि में 1/4 हिस्सा में प्रार्थीनी संख्या 01 धर्मिष्ठा ने 40/567 हिस्सा, प्रार्थीनी संख्या 02 अंजूदेवी ने 40/567 हिस्सा, प्रार्थीनी संख्या 03 परमेश्वरीदेवी ने 40/567 हिस्सा व प्रार्थीनी संख्या 04 कलावतीदेवी का 42/567 हिस्सा दुरूस्त कर खातेदारी में अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा महाबार पटवार महाबार खेत खसरा संख्या 243 रकबा 28.07 बीघा भूमि में 1/4 हिस्सा में प्रार्थीनी संख्या 01 धर्मिष्ठा ने 40/567 हिस्सा, प्रार्थीनी संख्या 02 अंजूदेवी ने 40/567 हिस्सा, प्रार्थीनी संख्या 03 परमेश्वरीदेवी ने 40/567 हिस्सा व प्रार्थीनी संख्या 04 कलावतीदेवी का 42/567 हिस्सा दुरूस्त (शुद्धिकरण) कर खातेदारी में अंकित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 03/09/24 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:32:28 IST
Reason: SelfAttested